न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

47 ...... प्रवीण कुमार जायसवाल बनाम राज कुमार भगत वगैरह ....

क्र० / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	अभिलेख सं०–एम...35.../2018 धारा–107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी ...बुण्डू....... के अप्राथमिकी सं०–08/18 दिनांक–22-3-18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि पारिवारिक समस्या को लेकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने को लेकर उभय पक्ष में तनाव है। जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष / विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी। अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष / द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द०प्र०सं० की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष / द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय। अभिलेख तिथि 11-05-18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। (हस्ताक्षर) 26/4/18 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।	
11-05-18	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 28-05-18 को रखें। (हस्ताक्षर) 11/5/18	

तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
4-09-18	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित द्वितीय पक्ष अधिवक्ता हाजरी। प्रथम पक्ष को पुनः नोटिस निर्गत करें। दिनांक 08-10-18 को रखें। 14/09/18
08-10-18	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित द्वितीय पक्ष अधिवक्ता हाजरी। प्रथम पक्ष को पुनः निर्गत नोटिस का तामिला अप्राप्त। दिनांक 29-10-18 को रखें। 08/10/18
29-10-18	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। उक्त वाद में द्वितीय पक्ष उपस्थित हुआ। प्रथम पक्ष को दो बार नोटिस भेजा गया किन्तु वह प्रत्येक बार नोटिस लेने से इन्कार किया। इससे ज्ञात होता है कि प्रथम पक्ष वाद में रुचि नहीं

तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	ले रहे है तथा वर्तमान मे उभय पक्ष मे शान्ति भंग होने की ~~शंका~~ संभावना नहीं है। थाना प्रभारी/अं.नि. की ओर से भी शांति भंग होने के संबंध में कोई प्रतिवेदन न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः वाद को अभिलेख की कार्रवाई बन्द की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 29/10/18 कार्यपालक दण्डाधिकारी बुण्डु (रांची) 29 29/10/18 कार्यपालक दण्डाधिकारी बुण्डु (रांची)

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2021.08.16 14:34:47 +05:30
Location: 192.168.43.107